श्री राजेश कुमार (भा0प्र0से0), आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया–सह–कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2025 (बुधवार) को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 कार्यक्रम एवं आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारी की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया एवं सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपराध नियंत्रण अधिनियम, गैर जमानती वारंट, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज लंबित मामलों तथा बी0एन0एस0एस0 के तहत की गई कार्रवाई की स्थिति निम्नानुसार है :–

Sl. No.	District	CCA (Section 3)			CCA (Section 12)			Pending NBW	Pending Chargesheet /Final Report in Arms Act Case	Pending Verification of Arms License/ Shops	BNSS 126/129/135	BNSS 107
		Proposal	Disposed/ Allowed	Pending	Proposal	Disposed/ Allowed	Pending					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Purnea	35	Disposed- 35 Allowed- 22	0	0	0	0	469	43/0	156/0	17894/12/7244	5
2	Katihar	122	Disposed-84 Allowed -79	38	4	Disposed-4 Allowed -0	0	870	25	108/0	15571/00/5503	12
3	Araria	136	Disposed-101 Allowed-32	35	0	0	0	548	30	550/0	1985/31/843	6
4	Kishanganj	21	Disposed-21 Allowed-21	0	1	1	0	118	3	171/0	3627/00/406	3
5	Saharsa	124	Disposed-66 Allowed-66	58	2	0	2	357	46	300	6670/00/3018	15
6	Supaul	102	Disposed-79 Allowed-68	23	2	0	2	336	34	308/0	5561/00/2492	3
7	Madhepura	171	Disposed-135 Allowed-67	36	2	Disposed-1 Allowed -1	1	240	85	128	6554/00/3666	14

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत कटिहार, अररिया, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा में लंबित प्रस्तावों की संख्या अधिक है। इसमें शीघ्र नोटिस का तामिला सुनिश्चित कराते हुए विधिवत सुनवाई कर समयबद्ध रूप से सकारण एवं मुखर आदेश से निस्तार करने का संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

समीक्षा में पाया गया कि अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 के तहत मधेपुरा एवं किशनगंज में एक–एक मामले में आदेश पारित हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य जिला में संतोषप्रद कार्रवाई नहीं है। अतः सभी पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया जाता है कि इस विषय के संदर्भ में थाना–वार समीक्षा करते हुए मामलों को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव प्राप्त होते शीघ्र नोटिस का तामिला सुनिश्चित कराते हुए विधिवत सुनवाई कर समयबद्ध रूप से सकारण एवं मुखर आदेश से निस्तार करने का संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है।

समीक्षा में पाया गया कि पूर्णिया/कोशी प्रमंडलाधीन जिलों में गैर जमानती वारंट (NBW) की संख्या काफी अधिक है। इसके Execution में दैनिक समीक्षा करते हुए प्रगती लाया जाए।

Arms Verification के मामले लगभग सभी जिलों में अधिक संख्या में लंबित हैं। जबकि Arms के शीघ्र Verification का आदेश मुख्यालय स्तर से लगातार प्राप्त हो रहे हैं। अतः इसका त्वरित रूप से Verification सुनिश्चित कराया जाय। जिनके आर्म्स सत्यापन में त्रुटि परिलक्षित होती है अथवा अनुपस्थित रहते हैं, उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय। Arms License के शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति परिलक्षित होने पर समयबद्ध रूप से नियमानुसार कार्रवाई की जाय। BNSS 129 के तहत ज्यादातर जिलों से नगण्य मामले प्रतिवेदित हैं। इसकी समीक्षा जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से की जाय तथा क्रमिक रूप से प्रगति लायी जाय। BNSS 107 के तहत अधिकांश जिलों में बहुत कम मामलों में कार्रवाई की गई है। थाना–वार जाँच कराकर शेष लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 कार्यक्रम से संबंधित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अद्यतन स्थिति निम्नवत है :–

Sl. No.	District	Total No. of AC	No. of Electors in Draft Roll	Electors marked as 2003	Non-2003 Electors	Documents Received (Non-2003)	Pending Electors (Non-2003)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Purnea	7	1994511	1048851	454275	383473	70802
2	Katihar	7	2044809	1618724	426085	300487	99844
3	Araria	6	1924414	1049277	875137	419231	455906
4	Kishanganj	4	1086242	491061	595181	777082	309160
5	Saharsa	4	1260078	568491	691587	78832	612755
6	Supual	5	1512457	784322	728135	156030	572105
7	Madhepura	4	1334043	517128	816915	62413	754502

इसकी जिलावार समीक्षा की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार सभी बिन्दुओं पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। ड्राफ्ट सूची का बी0एल0ओ0 वार समीक्षा किया जाय तथा समयबद्ध रूप से कागजात प्राप्त करते हुए अनुवर्त्ती कार्रवाई की जाय। प्रगति का दैनिक मोनिटिरिंग किया जाय तथा प्रतिवेदन नियमित रूप से आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। बी0एल0ओ0 को अपने क्षेत्र में सघन रूप से उपस्थित रहकर कार्य को सही–सही पूर्ण करने की आवश्यकता है।

समीक्षा में यह पाया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत महादलित टोला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। संभव है कि ऐसे परिवारों के निर्वाचक (जिनका नाम प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में छूटा हुआ है) जागरूकता अथवा संसाधन के अभाव में दावा प्ररूप 6 में विधिवत रूप से दाखिल नहीं कर पायें। अतः इस संबंध में पत्र के माध्यम से सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को इस आशय का निदेश दिया गया है कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं विकास मित्र के माध्यम से सभी महादलित टोला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला का सघन घर–घर जाँच कराकर यह सुनिश्चित हो लें कि उक्त टोला में रहनेवाले सभी योग्य निर्वाचकों का नाम ड्राफ्ट सूची में है तथा यह कि यदि किसी कारणवश ड्राफ्ट सूची में नाम छूट गया हो तो ऐसे लोगों का प्ररूप 6 सही–सही भरवाकर संबंधित BLO/AERO के माध्यम से दाखिल करवा दिया गया है। तथा शत प्रतिशत आच्छादन का प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। सभी जिला पदाधिकारी इसकी समीक्षा करते हुए कार्य सुनिश्चित करायेंगे।

आगामी समीक्षा दिनांक–28.08.2025 को पूर्वाहन 10:30 बजे VC के माध्यम से की जाएगी।

ह0/
आयुक्त
पूर्णिया–सह–कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 4964 पूर्णिया, दिनांक 06/08/2025

प्रतिलिपि

1–पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया/कोशी क्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2–जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Raje K.
06/8/2025.
आयुक्त
पूर्णिया–सह–कोशी प्रमंडल, सहरसा।